

प्रेषक,

डा० सुरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

संतकबीरनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, प्रतापगढ़, बदायूँ, वाराणसी, बस्ती,
देवरिया, श्रावस्ती, कुशीनगर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बहराइच, फतेहपुर, मऊ,
भदोही, कानपुर देहात, उन्नाव, महाराजगंज, फैजाबाद, अमेठी, अम्बेडकर
नगर, बरेली एवं जौनपुर।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक : 28 जुलाई, 2016

विषय:- भूकम्प से हुई जन-हानि तथा घायलों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त
सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में दिनांक 25.04.2015 को
उत्तर प्रदेश में भूकम्प के कारण हुई मृत्यु तथा घायल व्यक्तियों का विवरण निम्नवत्
है:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
	संतकबीरनगर,	1	7
	गोरखपुर,	3	21
	बलरामपुर,	1	4
	प्रतापगढ़		5
	बदायूँ	1	
	वाराणसी		1
	बस्ती		6
	देवरिया	1	3
	श्रावस्ती	1	1
	कुशीनगर	1	4
	बाराबंकी	3	8
	सिद्धार्थनगर		6
	बहराइच		2
	फतेहपुर		3
	मऊ		7
	भदोही		3

कानपुर देहात	1	1
उन्नाव	1	2
महराजगंज		11
फैजाबाद		2
अमेठी		1
अम्बेडकरनगर	1	1
बरेली	2	2
जौनपुर		7

2. उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-324/1-11-2015-5 (जी)/2015, दिनांक 09.06.2015 द्वारा दिनांक 25.04.2015 को उत्तर प्रदेश में भूकम्प से हुई मृत्यु में मृतक के आश्रित को रू0 07.00 लाख तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रू0 50,000/- एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को रू0 20,000/- की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। इसमें भारत सरकार के मानक से अतिरिक्त धनराशि का राज्य सरकार द्वारा अपनी स्रोतों से वहन किये जाने का आदेश सम्मिलित था।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के क्रम में दिनांक 25.04.2015 को उ0प्र0 में भूकम्प से हुयी जन-हानि तथा घायल व्यक्तियों को मा0 मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार वितरित की गयी धनराशि का विवरण शासन को फैक्स/ईमेल के माध्यम से 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 सुरेन्द्र कुमार)

— विशेष सचिव